न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूआ रानोता बनाम गोपी S/o रत्तीराम जाट रानोता

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :- RA/41/2022 निर्णय दिनाँक :- 15/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानोता की आ॰ख॰न॰ 125 कुल रकबा 0.68 किस्म जमीन गै॰मु॰ पोखर में से 0.02 रकबे पर श्री गोपी S/o रत्तीराम जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर बाड़बन्दी कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूआ द्वारा दिनाँक 6/5/22 .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी गोपी S/o रत्तीराम जाति जाट निवासी रानोता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 125 रकबा 0-68 में से 0.02 रकबे किस्म गै॰मु॰ पोखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 पैसे का 50 गुणा 19/- उन्नीस रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूआ भू॰अ॰निरी॰ दारोदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)